

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी

समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 28/2014
संस्थित दिनांक- 15.01.2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र-ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.अभियोजन

वि रु द्ध

दिनेश पिता झींगला भीलाला,
आयु-35 वर्ष, जाति-भीलाला
निवासी-चिभान्या फल्या, घुसगांव,
थाना नांगलवाड़ी, जिला बड़वानी

.....अभियुक्त

अभियोजन द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	- श्री विशाल कर्मा अधिवक्ता ।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 21/03/2013 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 02/14 के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 02.01.14 को दोपहर लगभग 02:10 बजे स्थान सेगवाल फाटा ए.बी. रोड़ जायसवाल ढाबे के सामने वाहन पिकअप क्रमांक एम.पी.09 जी.एफ. 2452 में 3 बैलों को कूरतापूर्वक मुँह एवं पैर बांधकर परिवहन करने तथा यह ज्ञान रखते हुए कि उनका वध किया जाएगा या वध करने की संभावना है, उनका अंतर्राज्यीय परिवहन करने के लिये 'पशु कूरता निवारण अधिनियम 1860' की धारा-11(1)(घ), 'म.प्र. कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 1959' की धारा-6/11 तथा 'म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004' की धारा-4, 6, 9 का अपराध विचारणीय है ।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था ।
3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.01.14 को थाना ठीकरी के प्रधान आरक्षक जगदीश चौहान इलाका भ्रमण पर हमराह राजेन्द्र के साथ ग्राम घटवा पहुंचे, वहां मुखबिर से सूचना मिली कि वाहन क्रमांक एम.पी.09 जी.एफ. 2452 में बैलों को कूरतापूर्वक भरकर वध करने हेतु शिरपुर महाराष्ट्र ले जा रहे हैं, सूचना पर से उसने साक्षी छगन तथा जोरावरसिंह को बुलाया, उन्हें मुखबिर की सूचना से अवगत कराया और उन्हें लेकर सेगवाल फाटा ए.बी. रोड़ जायसवाल ढाबे के सामने बैठकर धामनोद से आने वाले वाहनों को चेक करने पर वाहन पिकअप क्रमांक एम.पी.09 जी.एफ.2452 आया, जिसे रोका और

चेक किया था तो पीकप में 3 बैल सफेद रंग के जिनके पैर तथा मुँह बंधे हुए परिवहन करते पाये गये । उसने वाहन चालक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम दिनेश पिता झींगला भीलाला बताया तथा परिवहन संबंधी कोई परमिट या रसीद पूछने पर नहीं होना बताया और बैलों को सुंदेल से शिरपुर महाराष्ट्र वधशाला में ले जाना बताया । उक्त पंच साक्षियों के समक्ष उक्त 3 बैल और वाहन को जप्त किया तथा अभियुक्त का उक्त कृत्य 'म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004' की धारा-4, 6, 9 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1860' की धारा-11(1)(घ) के अंतर्गत होने से अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना लाये, थाने पर लाकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 02/14 दर्ज कर, जप्त बैलों का मेडिकल-परीक्षण कराया । साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र न्यायालय में पेश किया ।

4. उक्त अनुसार मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त पर 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1860' की धारा-11(1)(घ), 'म.प्र. कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 1959' की धारा-6/11 तथा 'म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004' की धारा-4, 6, 9 के आरोप लगाये जाने पर अभियुक्ता द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया तथा द.प्र.सं की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फँसाया गया है, किन्तु बचाव में अभियुक्त ने किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.01.14 को 02.10 बजे स्थान सेगवाल फाटा ए.बी. रोड़ जायसवाल ढाबे के सामने वाहन पीकप क्रमांक एम.पी.09 जी.एफ. 2452 में 3 नग बैलों के मुँह और पैर बांधकर उनका क्रूरतापूर्वक परिवहन किया ?
2	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गोवंश के 3 बैलों को वध करने के प्रयोजन से या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका वध किया जाएगा या वध करने की संभावना है, उनका अंतर्राज्यीय परिवहन करने का प्रयास किया ?
3	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गोवंश के 3 बैलों का उन्हें म.प्र. राज्य के बाहर वध करने के आशय से या वध करने की संभावना से परिवहन किया ?
4	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

-: साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-

6. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षी जोरावरसिंह (अ.सा.1), छगन बड़ोले (अ.सा.2), डॉ. शिवकुमार दांगोड़े (अ.सा.3), जगदीश चौहान (अ.सा.4) का परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 का निराकरण :-

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी जगदीश चौहान (अ.सा.4) का कथन है कि दिनांक 02.01.14 को वह थाना ठीकरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को वह राजेन्द्र हमराह को लेकर कस्बा भ्रमण पर ग्राम घटवा पहुंचा था, वहां उसे मुखबिर से सूचना मिली थी कि पिकअप वाहन क्रमांक एम.पी.09 जी.एफ.2452 में बैलों को कूरतापूर्वक भरकर वध करने के लिये शिरपुर महाराष्ट्र लेकर जा रहे हैं, तब उक्त सूचना उसने पंच साक्षी छगन, जोरावरसिंह को तलब कर बतायी थी और सेगवाल फाटा जायसवाल ढाबे के सामने बैठकर धामनोद की ओर से आने वाले वाहनों की जांच की थी। वाहन पिकअप क्रमांक एम.पी.09 जी.एफ.2452 आई थी, जिसे रोका था और उसकी जांच की थी, तब उसमें 3 नग बैल सफेद रंग के जिनके मुँह एवं पैर रस्सी से बंधे हुए पाये थे। उसने वाहन चालक से उसका नाम पूछा था तो उसने अपना नाम दिनेश बताया था और अभियुक्त के पास बैलों के परिवहन करने का कोई भी दस्तावेज नहीं था तथा बैलों को शिरपुर वधशाला ले जाना बताया था। उसने घटनास्थल पर ही वाहन पिकअप क्रमांक एम.पी.09 जी.एफ.2452 तथा 3 बैलों को अभियुक्त के कब्जे से जप्त कर प्र.पी.1 का जप्ती पंचनामा बनाया था तथा अभियुक्त को प्र.पी.2 के गिरफ्तारी पंचनामे द्वारा गिरफ्तार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह अभियुक्त, बैल और वाहन को लेकर थाना ठीकरी लाया और अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 02/14 प्र.पी.5 का दर्ज किया था, जिसके ए से ए और बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्त तीन बैलों को चिकित्सीय परीक्षण पशु चिकित्सक से कराया था। उसने पंच साक्षियों एवं राजेन्द्र के कथन लेखबद्ध किये थे। उसने जप्तशुदा वाहन एवं बैलों को राजसात किये जाने हेतु कलेक्टर बड़वानी को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पत्र भेजा था।

8. बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि गुरुवार को ग्राम सुंदेल में पशु बाजार लगता है, जहां पशु बाजार में कृषक लोग अच्छी किस्म के पशु क्रय एवं विक्रय करने आते हैं, लेकिन साक्षी ने यह जानकारी होने से इन्कार किया है कि उक्त सुंदेल बाजार में सेंधवा, पलसूद, निवाली, पानसेमल, बरूफाटक एवं आसपास के व्यक्ति बैलों का क्रय-विक्रय करने आते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि किसी अपराध की जांच के लिये जाते हैं तो रवानगी एवं वापसी का इंद्राज रोजनामचे में किया जाता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने रोजनामचे की कोई प्रतिलिपि प्रकरण में पेश नहीं की है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने साक्षियों के समक्ष कोई जप्ती या गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं की है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि यदि घुसगांव में सुंदेल से कृषि हेतु पशु क्रय करके ले जाते हैं तो ठीकरी से होकर जाना पड़ता है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि यदि 70 किलोमीटर बैलों को पैदल ले जाए तो ले जाने वाला थक जाता है और बैल भी अस्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह असत्य कथन कर रहा है।

9. साक्षी डॉ. शिवकुमार दांगोड़े (अ.सा.3) का कथन है कि दिनांक 02.01.14 को उसने चिकित्सालय ठीकरी में थाना ठीकरी के पत्र के आधार पर अपराध क्रमांक 2/14 में जप्तशुदा 3 बैलों का मेडिकल-परीक्षण वृंदावन गोशाला भगवानपुरा ठीकरी जाकर किया था। उक्त बैलों की आयु 7 से 8 वर्ष थी, उनके शरीर पर चोटों के कोई भी निशान नहीं थे और उक्त तीनों बैल कृषि कार्य के लिये उपयोगी थे। साक्षी ने उसके मेडिकल-परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.5 और थाना ठीकरी के पत्र प्र.पी.4 को भी प्रमाणित किया है। बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने

स्वीकार किया कि पशुओं को डामर सीमेंट या पथरीली सड़कर पर चलाया जाता है तो तो उनकी कृषि कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है ।

10. साक्षी जोरावरसिंह (अ.सा.1), छगन (अ.सा.2) अभियुक्त से उक्त बैल एवं वाहन जप्त करने के साक्षी हैं, लेकिन साक्षी छगन (अ.सा.2) ने अभियुक्त को पहचानने तथा अभियोजन द्वारा उसके सामने अभियुक्त से बैलों को जप्त करने से स्पष्ट इन्कार किया है । उक्त दोनों ही साक्षियों के कथन है कि दो-तीन माह पूर्व उसने पुलिस के प्रधान आरक्षक के कहने से कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे । साक्षियों ने प्र.पी.1 एवं प्र.पी.2 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं । साक्षी जोरावरसिंह (अ.सा.1) का कथन है कि जगदीश प्रधान आरक्षक ने उसे बताया था कि उन्होंने बैल पकड़े थे, कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे । साक्षी ने बैलों को देखने, पंचनामे पर हस्ताक्षर को स्वीकार किया है । उक्त दोनों साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित किया गया है । सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी जोरावरसिंह ने स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन वह और छगन दोनों बाजार गये थे और एक पीकप वाहन में तीन बैल भरे हुए थे तथा पुलिस ने लिखा-पढ़ी की थी तो उन्होंने हस्ताक्षर कर दिये थे, लेकिन साक्षियों ने अभियोजन के इस सुझाव से इन्कार किया है कि पुलिस ने वाहन चालक का नाम दिनेश बताया था । साक्षियों ने पुलिस को प्र.पी.2 एवं प्र.पी.3 के कथन देने से भी इन्कार किया है ।

11. बचाव-पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी जोरावरसिंह (अ.सा.1) ने स्वीकार किया है कि प्रधान आरक्षक जगदीश के साथ सेगवाल फाटा गया था और प्रधान आरक्षक जगदीश ने किसी वाहन को नहीं रोका था । साक्षी छगन (अ.सा.2) ने बचाव-पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने पीकप वाहन में भरे बैल दूर से देखे थे । साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रधान आरक्षक जगदीश उसके रिश्तेदार हैं और उनके कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे और जब पंचनामे पर हस्ताक्षर किये थे, तब वह कोरा था ।

12. ऐसी स्थिति में जबकि जप्ती पंचनामे के दोनों ही साक्षियों ने अभियुक्त को पहचानने और उनके सामने प्रधान आरक्षक जगदीश द्वारा उक्त पिकअप वाहन में भरे हुए तीन बैल अभियुक्त से जप्त किये जाने से स्पष्ट इन्कार किया है । साक्षियों ने प्र.पी.2 एवं 3 के पंचनामों पर अपने हस्ताक्षर उस समय करना बताया जब वे दस्तावेज कोरे थे तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर 3 बैलों को वध करने के आशय से क्रूरतापूर्वक ठूसकर तथा यह ज्ञान रखते हुए कि उनका वध किया जाएगा या वध करने की संभावना है, उनका अंतर्राज्यीय परिवहन कर वाहन पिकअप क्रमांक एम.पी.09 जी.एफ. 2452 में ले जाया जा रहा था । यहां तक कि प्रधान आरक्षक जगदीश के घटनास्थल पर जाने और वहां से वापस लौटने के संबंध में थाने के रोजनामचे की कोई प्रतिलिपि पेश या प्रदर्शित नहीं करायी है, जिससे घटना शंकास्पद हो जाती है ।

13. इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1860' की धारा-11(1)(घ), 'म.प्र. कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 1959' की धारा-6/11 तथा 'म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004' की धारा-4, 6, 9 का अपराध शंका से परे प्रमाणित नहीं होता है ।

14. अतः अभियुक्त को 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1860' की धारा-11(1)(घ), 'म.प्र. कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 1959' की धारा-6/11 तथा 'म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004' की धारा-4, 6, 9 के अपराध से शंका का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।

15. चूंकि जप्त बैलों के संबंध में राजसात की कार्यवाही कलेक्टर बड़वानी द्वारा की जा रही है, अतः उक्त संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है । निर्णय की एक प्रति कलेक्टर, बड़वानी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए ।

16. अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.